



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10606 सन् 2026

मो० आमिर

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- कौस्तुभ त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री कौस्तुभ त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 59 सन् 2025, धाराओं - 318(4), 338, 336(3), 342(1), 344, 61(2), 316(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना - चेतगंज, जनपद - वाराणसी, में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार भी, शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी ने स्वयं संबंधित खातेदार के क्रॉस चेक का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता के खाते सहित विभिन्न खातों में रुपये 4,88,00,000/- की विशाल राशि अंतरित की, और तत्पश्चात् उस राशि को दूसरे खाते में अंतरित किया, तथा याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना नकद भी आहरित किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त तथ्य मुख्य अभियुक्त आशीष तिवारी के कथन तथा एफएसएल रिपोर्ट द्वारा भली-भाँति प्रमाणित हैं, जो प्रथम सूचनादाता के खाते के क्रॉस चेक तथा याचिकाकर्ता के खाते के चेक पर छेड़छाड़/परिवर्तन प्रकट करती है, जिसका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुरुपयोग याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर जालसाजी करके किया गया था। अतः याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है, और सभी लेन-देन मुख्य अभियुक्त आशीष तिवारी द्वारा किए गए, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 8544 सन् 2025 में दिनांक 17.10.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम जमानत पर पहले ही रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त हिमांशु सिंह, हिमांशु शुक्ला एवं मनदीप सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45590 सन् 2025, 45534 सन् 2025 एवं 45633 सन् 2025 में, सभी दिनांक 13.01.2026 के आदेशों द्वारा, पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता, जो उपर्युक्त अभियुक्त व्यक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने एक मामले के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 10.06.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कारागारों की अतिभीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, एवं सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के वाद में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।



6. आवेदक **मोहम्मद आमिर**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
- i. याचिकाकर्ता, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. याचिकाकर्ता विचारण/अन्वेषण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. याचिकाकर्ता उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनबंध के साथ सत्यापित हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।
10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, याचिकाकर्ता की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024)



10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

एसए

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।